

# न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :- 369/2023 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/394)

1. राशिद पुत्र मजीद जातियान मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर।
2. वमीसा पत्नी राशिद जातियान मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलान्त

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 10.04.2023 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर वउनवानी सरकार बनाम राशिद प्रार्थना पत्र संख्या 18/2022

उपरिथति:-

श्री विजय शंकर सैनी वकील अपीलान्त।

निर्णय

दिनांक:- 28.12.2023

उक्त प्रथम अपील एल.आर.एक्ट की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 10.04.2023 विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि रैस्पोजेन्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत एक प्रार्थना पत्र अपीलान्त के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आराजी खसरा नंबर 708 रकबा 0.25 है० साबिक खसरा नंबर 535 मिन एक बीघा वाके ग्राम पीलवा नदी में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। जिसमें बाद कार्यवाही अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्त के आवंटन शर्तों की पालना नहीं मानकर रैस्पोजेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलान्त के हक में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त कर अपीलान्त को आवंटित भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश दिनांक 10.04.2023 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोजेन्ट की तलवी जरिये समन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पोजेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। वकील अपीलान्त की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.04.2023 विधिविरुद्ध व तथ्यों के विपरीत है। अपीलान्त एक भूमिहीन व्यक्ति है जो कि राजस्व ग्राम पीलवा नदी तहसील मलारनाडूंगर का निवासी है। अपीलान्त के भूमिहीन होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम पीलवा नदी के साबिक खसरा नंबर 535 मिन में से एक बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसके हाल खसरा नंबर 708 है। आवंटन से पूर्व आवंटन नियम 1970 के नियम 7 के तहत विधिवत उद्घोषणा जारी की गई थी जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी या जो भूमिहीन थे उनसे कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित करवाने हेतु विधिवत आवेदन प्राप्त किये गये थे। अपीलान्त द्वारा उक्त अधिसूचना के क्रम में नियम 8 के तहत भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त



45  
रैस्पोजेन्ट 2023  
न्यायालय संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर

प्रार्थना पत्र के राजस्व कार्मिकों द्वारा जांच करने के बाद आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सर्वसमिति से अपीलान्ट के पक्ष में भूमि का आवंटन किये जाने का आदेश दिया गया था। आवंटन के बाद अपीलान्ट को आवंटित भूमि का कब्जा सभलाया गया था तभी से उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जाकाशत चला आ रहा है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा प्रतिवर्ष फसल उगायी जाती है परन्तु अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं कर केवल पटवारी हल्का द्वारा घर बैठकर तैयार की गई रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 को आधार मानकर अपीलान्ट का कब्जाकाशत आदेश दिनांक 10.04.2023 को पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट को आवंटित भूमि पर लगभग 23 वर्षों से अपीलान्ट का कब्जाकाशत चला आ रहा है। इस आधार पर तहसीलदार द्वारा भी नियमन किये जाने की सिफारिश की गई थी परन्तु अदालत मातहत ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअदाज कर अपीलान्ट निर्णय पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट निर्णय दिनांक 10.04.2023 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.05.2000 को ग्राम पीलवा नदी में किया गया आवंटन बहाल किये जाने के आदेश दिये जावे।



अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलान्ट निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 10.04.2023 को विरुद्ध अदालत हाजा मे दिनांक 06.09.2023 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी विन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी विन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट निर्णय की जानकारी दिनांक 14.08.2023 को होने पर नकल हेतु आवेदन करने व दिनांक 16.08.2023 को नकल प्राप्त होने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया है। रैस्पों की ओर से न तो लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। वैसे भी माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरह का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपीलान्ट न्यायालयों को मियाद संबंधी विन्दु पर उदार रूख रखना चाहिये तथा तकनीकी विन्दुओं पर अपील खारिज किये जाने से बचना चाहिये। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलान्ट निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो गुणावगुण के आधार पर भी अपीलान्ट निर्णय दिनांक 10.04.2023 में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है क्योंकि अपीलान्ट को आवंटन सलाहकार समिति की ओर से ग्राम पीलवा नदी में साबिक खसरा नंबर 535 मिन रकबा 1 बीघा हाल खसरा नंबर 708 का दिनांक 26.05.2000 को किये गये आवंटन के संबंध में तहसीलदार आरनाडूंगर की ओर से भू-राजस्व अधिनियम के आवंटन नियम 1970(कृषि प्रयोजनार्थ) के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त किये जाने बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि आवंटनी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। उक्त भूमि पर आवंटनी का कब्जा नहीं है

198  
26.05.2020  
संघीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तथा भूमि पडत है। प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी, नकल खसरा गिरदावरी, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नामान्तरकरण संख्या 728 की प्रति प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से अपीलान्ट जो कि अप्रार्थी थे, को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में अभिभाषक भी उपस्थित हुए हैं परन्तु आवंटन शर्तों की पालना किये जाने अथवा आवंटित भूमि पर कब्जाकाश होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अदालत मातहत में प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत मातहत की ओर से पर्याप्त मौका दिये जाने के बावजूद अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा अपना पक्ष अदालत मातहत में नहीं रखा गया। इसलिए विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने रैस्पों0/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.04.2023 पारित किया है। जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि अपीलान्ट/अप्रार्थी को ग्राम पीलवा नदी में आराजी खसरा नंबर 535 मिन रकबा 1 बीघा हाल खसरा नंबर 708 रकबा 0.25 है0 का आवंटन किया गया था। भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त चकविलौली व पटवारी हल्का चकविलौली की रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 के अनुसार अप्रार्थी का मौके पर कब्जाकाश नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी संवत् 2074-76 के अनुसार भूमि मौके पर पडत पडी हुई है। आवंटि द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना मानकर तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से प्रस्तुत 14(4)संबंधी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश दिये हैं। अपीलान्ट की ओर से मौखिक बहस में तो यह उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट को आवंटित भूमि पर आवंटन के दिनांक से ही अपीलान्ट का कब्जाकाश चला आ रहा है तथा आवंटन से लेकर आज दिनांक तक काबिज होकर काश करते आ रहे हैं तथा आवंटन शर्तों की पालना की गई है परन्तु उक्त तर्क के समर्थन में किसी तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में ही प्रस्तुत किया गया। दूसरी ओर भूमिधारी तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से अदालत हाजा में अपीलान्ट को आवंटित भूमि का कब्जा संभलाये जाने की रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 व खसरा गिरदावरी आदि की प्रति प्रस्तुत की है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के आधार पर भूमिधारी की ओर से प्रस्तुत 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र को नियमानुसार स्वीकार कर अपीलान्ट के हक में किये गये आवंटन को निरस्त कर पुनः राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा दिया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.04.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर प्रख. प्रमो)  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर, भरतपुर

